सं0— 854 /15—11—2010

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग (11) दिनांक— 19.05.2010

विषय— निजी प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 फीस का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश के ऐसे मान्यता प्राप्त निजी बीटीसी/एनटीटी प्रशिक्षण संस्थानों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा संबद्धीकरण (Affiliation) प्रदान किया गया है, द्वारा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पारित आदेशों के अनुरूप पाठ्यक्रम का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2. निजी संस्थानों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारित अर्हतायुक्त शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ को निर्धारित मानकों एवं प्रकिया के अनुसार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की पूर्वानुमति से सेवायोजित किया जाएगा। नियुक्ति में नियमानुसार आरक्षण लागू होगा।

संस्थानों में स्टाफ के लिए मानक एवं वेतनमान निम्नवत होंगे—

BTC
(निजी प्रशिक्षण संस्थानों हेतु प्रस्तावित पद एवं वेतनमान)

पदनाम	सख्या	वेतनमान
प्राचार्य	1	15600—39100 ग्रेड पे 5400
प्रवक्ता	6	9300—34800 ग्रेड पे 4800
यूडीसी/लाइब्रेरियन	1+1	5200—20200 ग्रेड पे 2800
कम्प्यूटर आपरेटर/स्टोरकीपर	1	5200—20200 ग्रेड पे 1900
चतुर्थ श्रेणी+सफाई कर्मी	1+1	इन पदों को दैनिक वेतन/संविदा पर संस्थान द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप भरा जा सकेगा।

NTT
(निजी प्रशिक्षण संस्थानों हेतु प्रस्तावित पद एवं वेतनमान)

पदनाम	सख्या	वेतनमान
प्राचार्य	1	15600—39100 ग्रेड पे 5400
प्रवक्ता	4	9300—34800 ग्रेड पे 4800
स्वास्थ एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षक	1	9300—34800 ग्रेड पे 4600
यूडीसी/लाइब्रेरियन	1+1	5200—20200 ग्रेड पे 2800
कम्प्यूटर आपरेटर/स्टोरकीपर	1	5200—20200 ग्रेड पे 1900
चतुर्थ श्रेणी+सफाई कर्मी	1+1	इन पदों को दैनिक वेतन/संविदा पर संस्थान द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप भरा जा सकेगा।

—2—

3. निजी संस्थानों में चतुर्थ श्रेणी का कोई पद प्राविधानित न होते हुए भी संस्थानों द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों के अधीन अधिकतम 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मी दैनिक वेतन/संविदा के आधार पर तैनाती किए जा सकेंगे।

4. संस्थानों द्वारा विकास शुल्क की मद में प्राप्त धनराशि का उपयोग निम्न मदों पर किया जा सकेगा–

विकास शुल्क		
क	मद	वार्षिक व्यय
1.	बिजली	50000.00
2.	टेलीफोन /ब्राडबैंड	20000.00
3.	**विविध व्यय** (स्टेशनरी/पोस्टेज/यात्रा/जेनरेटर/बागवानी/पुस्तकालय /साज–सज्जा/फर्नीचर/अनुरक्षण/लघुनिर्माण/भवन एवं उपकरण अनुरक्षण/प्रयोगशाला/कर/मुद्रण अन्य आकस्मिक व्यय)	100000.00
4.	कम्प्यूटर हार्डवेयर/पेरिफिरल्स/साफ्टवेयर	30000.00
	कुल	**200000.00**

5. एनसीटीई के नोटिफिकेशन दि0 18.6.02 के पैरा–4 (3) के अनुसार आधी सीट 'फ्री सीट' होंगी और शेष आधी सीट 'पेड सीट' होंगी। मैनेजमेंट हेतु कोई भी कोटा नहीं होगा।

6. बी0टी0सी0 की विभिन्न सीटों के लिए निम्नवत फीस निर्धारित की जाती है –

क		छात्र संख्या	पेड सीट		फ्री सीट		फीस का कुल योग
			संख्या	फीस	संख्या	फीस	
1	प्रथम वर्ष	50	25	44000	25	22000	1100000+550000= 1650000
2	द्वितीय वर्ष	100	50	44000	50	22000	2200000+ 1100000= 3300000
3	तृतीय वर्ष एवं आगामी वर्ष	100	50	44000	50	22000	2200000+ 1100000= 3300000

7. संस्थानों द्वारा प्रथम वर्ष में एनटीटी की पेड सीट तथा फ्री सीट हेतु क्रमशः 42000.00 एवं 20000.00, द्वितीय वर्ष में 43000.00 एवं 21000.00 तथा तृतीय वर्ष में 43000.00 एवं 21000.00 फीस चार्ज की जाएगी।

8. निजी संस्थानों द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस लाभार्जन अथवा व्यवसायीकरण हेतु प्रयोग में नहीं लाई जाएगी।

9. शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ को 02 वर्ष प्रोबेशन पर रखा जाएगा।

10. शिक्षण संस्थान शपथ पत्र के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमन्य शासकीय आर्किटेक्ट/इंजीनियर से हस्ताक्षरित मानचित्र/साइट प्लान 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि प्रश्नगत पाठ्यक्रम के लिए किस फ्लोर पर कौन सा कक्ष संस्थान हेतु किस आशय से प्रयोग किया जाएगा और यह कक्ष किसी अन्य पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है अथवा नहीं। संस्थान द्वारा प्रदर्शित स्थिति को बिना राज्य सरकार की पूर्व स्थिति के परिवर्तित करने की स्थिति में संबद्धीकरण को निरस्त किया जा सकेगा।

11. संस्थान को अभ्यर्थी से मूल अभिलेख प्राप्त करने की अनुमति होगी, जिन्हें प्राप्ति के अधिकतम दो दिवस में अभ्यर्थी को वापस करके सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अवगत भी कराना होगा। सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि निर्धारित समयावधि में यह कार्यवाही पूर्ण की जाए। मूल अभिलेखों को दो दिवस में वापस न करने पर प्रत्येक प्रकरण में संस्थान पर 500 रु0 प्रतिदिन का दण्ड सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा वसूल किया जाएगा, जो बैंक ड्राफ्ट के रूप में निदेशक एससीईआरटी के पक्ष में जमा किया जाएगा तथा शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप व्यय किया जा सकेगा।

12. अभ्यर्थी से 1000.00 रु0 काशनमनी ली जा सकेगी जो परीक्षाफल धोषित होने के दो दिवस में अभ्यर्थी को वापस करके सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अवगत भी कराना होगा। सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि निर्धारित समयावधि में यह कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। निर्धारित अवधि में काशनमनी वापस न किए जाने पर 50 रु0 प्रतिदिन का दण्ड सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा वसूल किया जाएगा, जो बैंक ड्राफ्ट के रूप में निदेशक एससीईआरटी के पक्ष में जमा किया जाएगा तथा शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप व्यय किया जा सकेगा।

13. फीस को निर्धारित अवधि में न जमा करने पर संस्थान द्वारा अभ्यर्थी से अधिकतम 25 रु0 का विलंब शुल्क लिया जा सकेगा।

14. संस्थानों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित फीस, काशनमनी एवं विलंब शुल्क के अलावा किसी भी अन्य मद में अभ्यर्थियों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।

15 संस्थान का निरीक्षण समय समय पर जिला मजिस्ट्रेट के अधीन मजिस्ट्रेटों तथा बीएसए एवं डीआईओएस के माध्यम से किया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार शासन/निदेशक/सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा भी संस्थानों का निरीक्षण कराया जा सकेगा। निरीक्षण आख्याओं की प्रति शासन/निदेशक/सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाएंगी।

16. समस्त संस्थान वर्ष में 02 बार सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी एवं निदेशक, एससीईआरटी शुल्क प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति से अवगत कराएंगे एवं प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट भी प्रस्तुत करेंगे। निदेशक का यह दायित्व होगा कि वह प्राप्त अभिलेखों के आधार पर यह राज्य सरकार को यह आकलन प्रस्तुत करेंगे कि संस्थान द्वारा लाभ कमाने अथवा व्यवसायीकरण की गतिविधि में लिप्त नहीं हैं।

17. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मानकों एवं आदेशों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

18. निजी संस्थानों के संबंध में पूर्व में समय समय पर जारी आदेश यथावत लागू रहेंगे।

19. निदेशक द्वारा इन आदेशों से समस्त निजी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों को अनुपालनार्थ अवगत कराने की कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान, उ0प्र0।
3. विशेष सचिव, शिक्षा अनुभाग--11
4. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उ0प्र0।
6. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
7. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0
8. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद
9. गार्ड बुक

आज्ञा से

(अतुल कुमार)
विशेष सचिव